

उपखण्ड अधिकारी सीकर


गुंवरभाल

बनाम

श्रीमप्रकाश

17/2/2021

लागू कोई आश्वासन / नकारा कि वादिक
 भूमि का केंचान नहीं कर सकें। डा. 17: शर्चनापत्र
 प्रयोग के लोकार विभाजित हैं तथा आर्वाइ
 1. निषेधाज्ञा इस आशय से जारी की जाती
 है कि उपरोक्त नदों से वाह विवादि
 भूमि पर 52 रकबा 0.13 हेक्टर, ख. 75/1,
 रकबा 0.09 हेक्टर एवं 2 वि. भूमि पर
 179.18 कुल किरा 02 कुल रकबा
 1.94 हेक्टर का जग कुडली नदाल 5
 (जिला लोकार की भूमि पर निर्मात की
 अथास्थिति बनाये रखे) पत्रावली फैसल
 सुमाएके नामक है कम हो 41 किल
 एक्टर हो निर्मात आज में दस्ताए से
 (आयोग)।


 उपखण्ड अधिकारी- सीकर